फर्द अहकाम

यालय — उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ (जयपुर)

बाबूलाल — **बनाम** — सरकार व अन्य

कदमा संख्या / वर्ष : 160 / 2019

०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	24/01/21	पत्रावली पेश हुई वकील उभय पक्ष उपस्थित। हेमकुंड कुलासिक रिसोर्टस प्रा० लि० की ओर से एक प्रा०पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) एवं पठित धारा 151 CPC का पेश किया जिस पर उभय पक्षों की बहस सुनी गयी प्रार्थी वकील की सहमति पर उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी सं० 2 ग्राम पंचायत 18 का नाम हजफ किया जाता है। प्रार्थी वकील ने संशोधित उनवान पेश किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 LR Act पर उभय पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 25/01/2021 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ	
	25/01/21	पत्रावली पेश हुई वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 LR Act पर बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर उक्त प्रार्थना पत्र 131, 136 LR Act को स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल फाइल किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ

Signature Not Verifi
Digitally signed by Vishw
Meena
Date: 2021.02.17 17:33:
Reason: SelfAttested

न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)
पीठासीन - श्री विश्वामित्र मीणा R.A.S

प्रार्थना पत्र संख्या-160/2019

(1) बाबूलाल पुत्र कल्याण उम्र 48 साल जाति मीणा निवासी ग्राम नटाटा तहसील जमवारामगढ़ जिला- जयपुर।
(2) साक्षी पुत्री स्व॰ शंकर लाल नाबालिग संरक्षिका माता सुगनदेवी
(3) सुगनदेवी पत्नि स्व॰ शंकरलाल मीणा निवासी ग्राम नटाटा तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर (राज॰)

...... प्रार्थीगण

बनाम

1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़ (जयपुर)
2- हसीना पत्नि स्व॰ सफी खां (3) सलीम पुत्र स्व॰ सफी खां
(4) महबूब पुत्र स्व॰ सफी खां (5) सत्तार पुत्र स्व॰ सफी खां
(6) रिजवान पुत्र स्व॰ सफी खां (7) मुन्ना पुत्र स्व॰ सफी खां
(8) शमशेर पुत्र स्व॰ सफी खां (9) अमराम पुत्र सफी खां
(10) रवीना पुत्र स्व॰ सफी खां (11) रुकसार पुत्री स्व॰ सफी खां
(12) शरीफ पुत्र स्व॰ कालू खां (13) बाबू खां पुत्र स्व॰ कालू खां
(14) इस्माइल खां पुत्र स्व॰ कालू (15) कमली खां पुत्र स्व॰ कालू खां (16) छोटी खां पुत्री स्व॰ कालू खां
(17) प्रेम खां पुत्री स्व॰ कालू खां (18) जमीना खां पुत्री स्व॰ कालू खां
समस्त जातिमान नाई निवासियान तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) (राज॰)

नाम हजफ

(19) मैसर्स हेमकुंड क्लासिक रिसोर्टस प्रा॰ लि॰ कार्यालय गोविन्दी हाउस 8ए, कानोता बाग तरले श्री रोड जयपुर जरिये निदेशक श्री रितेश अग्रवाल पुत्र श्री जुगल किशोर गर्ग जाति महाजन निवासी एफ-न॰ ए-36 गोविन्दी, तरलेश्री रोड ए एल एन मार्ग जयपुर

...... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 131,136 एल॰ आर॰ एक्ट

निर्णय

दिनांक - 25/01/2021

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 131,136 एल॰ आर॰ एक्ट के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र का विवरण निम्न प्रकार से है।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2021.02.17 17:33:13 IST
Reason: SelfAttested

बाबूलाल बनाम सरकार व अन्य

प्रार्थना पत्र स० 160/2019

(2)

कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि वाके ग्राम नराणा पटवार हल्का नराणा तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि ख०न० 73 रकबा 1.4500 स्थित है जिसके साबिक ख०न० 73 ही रहे है। जिसका हाल नक्शा बनाते समय पूर्व नक्शे से भिन्न नक्शा तरमीम कर दी गई। जिससे उत्तर दिशा में स्थित हाल ख०न० 70 के खातेदार व पूर्व एवं दक्षिण में रास्ते की भूमि के नक्शे को बढाकर प्रार्थीगण के नक्शे को संकुचित कर दिया जिससे अप्रार्थी ख०न०70 के त्रुटिपूर्ण तरमीम के आधार पर प्रार्थीगण की खातेदारी में करीब 15 फीट अन्दर घुसकर पूर्व से लगी सीमा मेड को तोड़कर पुख्ता निर्माण करने पर आमादा है। इसलिये नक्शा दुरुस्तीकरण का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

हाल ख०न० 73 के गत ख०न० 73 ही है। जो राजस्व नक्शे में तरमीम शुदा था जो पूर्व नक्शे में ख०न० 73 तरमीम शुदा खातेदारी दर्ज रही है। जिसको हाल सेटलमेन्ट के दौरान नवीन ख०न० 73 कायम कर नक्शा तरमीम करते वक्त पूर्व नक्शे से नक्शा तरमीम कम कर दी गई। और पूर्व ख०न० 73 से हाल खसरा नम्बर में चारों ओर से प्रार्थीगण की नक्शा तरमीम संकुचित कर दी गयी जिसको स्पष्ट करने के लिये जमरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित भाग पूर्व ख०न० 73 की तरमीम शुदा खातेदारी रही है। जिसको हाल नक्शे में नक्शा दुरस्त कर पूर्व नक्शे अनुसार तरमीम कायम किया जाना कानूनन आवश्यक है।

अप्रार्थीगण के हाल ख०न० 70 के पूर्व ख०न० 69 थे जिसकी नक्शा तरमीम भी पूर्व खसरा नम्बर के नक्शा तरमीम के अनुसार

P.T.O.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwami[illegible]
Meena
Date: 2021.02.17 17:33:13 I[illegible]
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]रामगढ़

बाबूलाल बनाम सरकार व अन्य

प्रार्थना पत्र सं. 160/2019

(3)

दर्ज नहीं कर अप्रार्थीगण के ख०न०70 को नक्शा तरमीम प्रार्थीगण की भूमि में दर्ज कर दी गई। जिसे नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया है। तथा अप्रार्थीगण के गत ख०न० 69 के जाव में कुऐं का ख०न० 68 था और प्रार्थीगण के ख०न०-73 के जाव में कुऐ का ख०न० 62 था उक्त दोनों कुओं की नक्शा आकृति व पूर्व स्थित जगह से हाल नक्शे में गलत जगह नक्शा तरमीम कर दी गई। जिससे उक्त कुओं से पैमाइश करने से अप्रार्थीगण की सीमा पैमाइश में प्रार्थीगण की भूमि निकलती है अप्रार्थी उक्त त्रुटिपूर्ण नक्शा तरमीम के आधार पर जबरन मुकदमा कब्जा करना चाहते है। और इसी प्रकार दक्षिण दिशा में गत ख०न० 73 के लगावा ख०न० 75 आम रास्ते की भूमि थी जिसकी चौडाई 20 फुट के करीब थी जिसको भी हाल नक्शों में संकुचित कर दिया। जिससे उक्त रास्ता वास्तविक जगह न रहकर कुछ भाग प्रार्थीगण की भूमि सम्मिलित हो गया। इसलिये ख०न०73 की नक्शा तरमीम पूर्व नक्शे के अनुसार तरमीम किया जाना आवश्यक है। जिसका प्रार्थीगण अधिकारी है।

अतः प्रार्थीगण ने मय शपथ पत्र पेश कर अनुतोष चाहा कि प्रार्थीगण की भूमि हाल ख०न०-73,72 की नक्शा तरमीम को गत ख०न०-73,72 के अनुसार नक्शा दुरुस्त करने के आदेश देकर पूर्व नक्शा की भांति हाल नक्शा तरमीम कायम कराई जावे।

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों की तलबी जारी की गई। मैसर्स हेमकुंड की ओर से एडवोकेट रामकरण शर्मा ने वकालतनामा व प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी०पी०सी० का पेश किया। अन्य

P.T.O

सहायक अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwar
Meena
Date: 2021.02.17 17:33:13
Reason: SelfAttested

बाबूलाल बनाम सरकार व अन्य
प्रार्थना पत्र सं० 160/2017

(5)

पक्षों की बहस सुनने के उपरान्त प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 CPC को स्वीकार किया गया। तथा तहसीलदार जमवारामगढ़ से अपने पत्रांक 10 दिनांक 05/01/2021 के द्वारा जवाब पेश किया।

तहसीलदार जमवारामगढ़ ने अपने जवाब में अंकित किया कि बिन्दु क्र० 1 रिकॉर्ड पर है नवीन व गत नक्शे से पुष्टि होती है। बिन्दु क्र० 2 प्रार्थी का न्यायिक अधिकार है। बिन्दु क्र० 3 अनुसार हाल ख०न० 72 की स्थिति पूर्व से भिन्न नवीन नक्शे में प्रदर्शित है। शेष सीमाज्ञान से सम्बन्धित है। बिन्दु सं० 4 अनुसार नवीन एवं गत नक्शों में प्रदर्शित अन्तर नवीन प्रकार से पूर्व अनुसार संशोधन प्रस्तावित लाल स्याही से नक्शों में प्रदर्शित है। अतः गत नक्शे को हाल नक्शे पर अच्छादित करने पर जो अन्तर आता है उसे नवीन नक्शों में लाल स्याही से प्रदर्शित कर दिया गया है। गत नक्शे के मुताबिक नवीन नक्शों में संशोधन किया जाना उचित होगा।

अप्रार्थी हेमकुंड की ओर से जरिये वकील से एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) एवं सपठित धारा 151 CPC का पेश किया जिसमें अंकित किया कि प्रार्थी/अप्रार्थी ने अप्रार्थी सं० 2 लाबापत 18 से खातेदारी भूमि ख०न० 70, 70/1068 ग्राम मररा को जरिये दो विक्रय पत्रों के दिनांक 21/8/2019 को क्रय कर लिया है अब उक्त अप्रार्थी सं० 2 लाबापत 18 का उक्त वर्णित भूमि में किसी प्रकार का कोई हक सम्बन्ध नहीं रहा है। अतः अप्रार्थी सं० 2 लाबापत 18 का नाम निरस्त कर उसका नाम प्रकरण से हटाया जावे। अप्रार्थी/प्रार्थी वकील ने

P.T.O.

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish
Meena
Date: 2021.02.17 17:33
Reason: SelfAttested

बाबूलाल बनाम सरकार व आप
प्रार्थना पत्र स० 160/2019

(5)

उक्त प्रार्थना पत्र आदेश । नियम 10(2) CPC का जवाब न देकर सीधे बहस की और प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में अपनी सहमति प्रकट की। उभय पक्षों की सहमति के आधार पर उक्त प्रार्थना आदेश । नियम 10(2) सपठित धारा 151 CPC को स्वीकार किया गया। सशोधित उनवान पेश किया गया। तथा अप्रार्थी स० 2 ता 10 का नाम हजफ किया गया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल० आर० एक्ट पर उभय पक्षों को बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुऐ कहा कि प्रार्थीगण की भूमि हाल ख०न० 73, 72 वाके ग्राम नराया तहसील ख्यारामगढ की नक्शा तरमीम को गत ख०न० 73, 72 के अनुसार नक्शा दुरुस्त करने के आदेश देकर पूर्व नक्शा की भांति हाल नक्शा तरमीम कायम करवाई जावे।

अप्रार्थी स० 1 के वकील ने अपनी बहस में कहा कि विवादित ख०न० 73, 72 वर्तमान नक्शा की दुरुस्ती पूर्व नक्शा अनुसार की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने तथा भूमि धारी की रिपोर्ट पर मनन करने के उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि गत नक्शे को हाल नक्शे पर आच्छादित करने पर अन्तर पाया गया तथा ख०न० की स्थिति पूर्व से भिन्न नवीन नक्शों में [illegible] इसीलिये नवीन नक्शे को पूर्व नक्शे अनुसार दुरुस्त किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू-राजस्व अधिनियम

P.T.O.

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Signature Not Ve[rified]
Digitally signed by Vis[...]
Meena
Date: 2021.02.17 17:3[...]
Reason: SelfAttested

बाबूलाल बनाम सरकार व अन्य
प्रार्थना पत्र सं. 160/2019

(6)

को स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण की भूमि हाल ख०न० 73,72 वाके ग्राम नराया तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) को नक्शा तरमीम को गत ख०न० 73,72 के अनुसार नक्शा दुरुस्त करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ़ को दिये जाते है तदानुसार नक्शा दुरुस्त किया जावे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ़ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद प्रति दाखिल रफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/01/2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwar
Meena
Date: 2021.02.17 17:33:13
Reason: SelfAttested